Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 11/2017

Most. Jharana Devi ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	27.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–950 / स्था0 दिनांक–24.12.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति स्व0 चेतनारायण सिंह (भूतपूर्व पंचायत सचिव), प्रखंड कार्यालय, कोचाधामन, किशनगंज की मृत्यु पश्चात् अपीलार्थी को अनुकंपा के आधार पर परिचारी के पद पर नियुक्ति की गई। नियुक्ति पश्चात् इनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कार्यालय पत्रांक–207 दिनांक–22.06.2016 द्वारा श्री सत्यपाल सिंह, निदेशक / परीक्षा नियंत्रक, सी0–244, हरदेवपुरी, शहादरा, दिल्ली–110093 को सत्यापन हेतु भेजा गया, जो बिल्कुल निराधार है। जबकि अपीलार्थी हरिराम ग्लोबल एकेडमी, दक्षिण दिनाजपुर (पिन–733125) स्कूल से प्राईवेट से परीक्षा दी थी। जिसका सत्यापन पत्रांक–67 / 2016 दिनांक–02.12.2016 से प्राप्त है। उक्त संस्थान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल, दिल्ली Registered by Learning Commission, Govt. of India, N.C.T. Delhi Ministry of Education Regd:-Department of Labour (Govt. of National Capital Delhi) ANISO 2001 :-2008 Certified Organisation से संबद्ध है। जिसका Centre Code-271 है। वस्तुतः इसी संस्थान से इनके प्रमाण पत्रों की जाँच करायी जानी चाहिए थी। इनके विद्यालय हरेरामपुर ग्लोबल एकेडमी के संबद्ध संस्थान सचिव, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल–Delhi यमुना विहार, नई दिल्ली–110053 से कराये जाने पर स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी। अपीलार्थी से कार्यालय ज्ञापांक–585 दिनांक–12.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई जिसके आलोक में इनके द्वारा समय की याचना की गई। इन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है। इनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन को नजरअंदाज करते हुए पदमुक्ति का आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन वैसे संस्थान से कराया गया है जिसे यह संबद्ध नहीं है।	

Web Copy Not Official.

		इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी उक्त विद्यालय से प्राईवेट छात्रा के रूप में क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	उत्तीर्ण है। जिला प्रशाखा द्वारा जिस उक्त संस्थान से इनके प्रमाण पत्रों की जाँच करायी गई है वह सही नहीं है। जबकि प्राचार्य, हरेराम ग्लोबल एकेडमी (Affiliated to UMSM Delhi, Centre Code-271) दक्षिण दिनाजपुर के पत्रांक–67/16 दिनांक–02.12.2016 द्वारा समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन पूर्णतः सत्य है। इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ स्थापना उप समाहर्त्ता, किशनगंज ने पत्रांक–174 दिनांक–23.02.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज का मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि दिनांक–24.03.2015 को जिला अनुकंपा समिति की बैठक में मसो0 झरना देवी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लेते हुए निर्धारित शर्त्तों के अधीन नियुक्ति की गई। दिनांक–10.09.2015 को उनके द्वारा योगदान समर्पित करने के आलोक में उन्हें प्रखंड कार्यालय, दिघलबैंक में पदस्थापित करते हुए जिला विकास प्रशाखा में प्रतिनियुक्त किया गया। इनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच पत्रांक–185 दिनांक–04.06.2016 द्वारा सचिव, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल, दिल्ली से करने हेतु निबंधित डाक से भेजा गया जो वापस लौट गया। पुनः पत्रांक–207 दिनांक–22.06.2016 द्वारा श्री सत्यपाल सिंह, निदेशक/परीक्षा नियंत्रणक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल, दिल्ली से प्रमाण पत्र की जाँच करायी गई। उनके पत्रांक–A/71 दिनांक–04.07.2016 द्वारा संसूचित किया गया कि हरिराम ग्लोबल एकेडमी उनके बोर्ड से संबंधित नहीं है। पत्रांक–585 दिनांक–12.09.2016 द्वारा मसो0 झरना देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उनके द्वारा एक माह की मोहलत की माँग की गई। उन्हें वांछित कागजात नजारत द्वारा उपलब्ध कराया गया। समय समाप्त हो जाने के बाद पुनः उन्हें पत्रांक–841 दिनांक–29.11.2016 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा पुनः 2 माह का समय माँगा गया। अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष न रख बार–बार मौका देने की माँग करना प्रश्नगत मामले को लंबित रखने की मंशा को जाहिर करता है। अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के आधार पर इन्हें पदच्युत किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन विचारणीय नहीं है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति उनके स्वर्गीय पति चेतनारायण सिंह (भूतपूर्व पंचायत सचिव, कोचाधामन) की मृत्यु पश्चात् अनुकंपा के आधार पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पद पर की गई थी। नियुक्ति के दौरान इनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कराये जाने पर फर्जी पाये	

Web copy. Not official.

		जाने के आलोक में अपीलार्थी को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा मात्र बार–बार समय की माँग की जाती रही। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को वैध ठहराने में विफल रही है। फलतः अपीलार्थी के शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाये क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	जाने के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उन्हें सेवा से पदच्युत करने का दंडादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को वैध प्रमाणित करने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश ज्ञापांक–950/जि0स्था0 दिनांक–24.12.2016 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपीलवाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.